छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website: - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक /27/रेरा/2019/2017 रायपुर, दिनाँक 28/08/2019,

//परिपत्र//

विषय :– लंबित दस्तावेज जमा करने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए विलंबित आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण के संबंध में।

---00---

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–3, दिनाँक 28.03.2018 के माध्यम से विस्तुत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के त्वरित रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से प्रमोटर्स को वचन–पत्र (Undertaking) के साथ किंचित दस्तोवजों के बिना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि उक्त लंबित दस्तोवज आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न करने पर विलंब शुल्क के अतिरिक्त पृथक से दण्ड भी आरोपित किए जावेंगे। किन्तु रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत कतिपय प्रकरणों में यह परिलक्षित हो रहा है कि उक्त एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी प्रमोटर्स द्वारा लंबित दस्तोवज प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

01. यदि किसी प्रोजेक्ट में दिनाँक 31 मार्च 2019 के पूर्व आवेदन किया गया है और दस्तावेज लंबित है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लंबित दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनॉक 20 सितम्बर 2019 तक की अंतिम सीमा निर्धारित की जाती है।

02. यदि किसी प्रोजेक्ट में दिनाँक 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक आवेदन किया गया है और दस्तावेज लंबित है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लंबित दस्तावेज दिनाँक 30 सितम्बर 2019 के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतिम सीमा निर्धारित की जाती है।

28/8/2019

03. यदि किसी प्रोजेक्ट में पंजीयन हेतु आवेदन दिनाँक 01 जूलाई 2019 के उपरांत किया गया है और दस्तावेज लंबित है, तो ऐसे लंबित दस्तावेज आवेदन दिनाँक से 03 माह की अवधि के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त समयावधि तक लंबित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर इस संबंध में प्रमोटर की अरूचि होने की अवधारणा करते हुए अधिनियम–05 के तहत् संबंधित प्रोजेक्ट की पंजीयन शुल्क की राशि से 10% कटौती करते हुए आवेदन निरस्त किया जावेगा।

नोट :–प्राधिकरण के परिपत्र कमांक–14, दिनाँक 27.07.2018 के अनुसार प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु लंबित दस्तावेज जमा करने के संबंध में शुल्क देय होंगे।

(मान. अध्यक्ष महोदय व्दारा अनुमोदित)

(डॉ.अनुप्रिया मिश्रा) 28/8/2019.
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर